भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **848**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

नई राजसहायता योजनाओं के तहत धन का आवंटन

848. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरकों के लिए नई राजसहायता योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और संवितरित कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विशेषकर मध्य प्रदेश में राजसहायता योजनाओं से लाभान्वित हुए लघु, मध्यम और बड़े किसानों की संख्या कितनी है;
(ग) पिछली अवधियों के तुलनात्मक आंकड़ों द्वारा समर्थित किसानों की उत्पादन लागत पर राजसहायता का क्या प्रभाव पड़ा है; और
(घ) राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के कुशल वितरण और उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ फसल की पैदावार में कोई सुधार देखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले पांच वर्षों में आवंटित और संवितरित सब्सिडी राशि का ब्यौरा उपलब्ध है और नीचे दिया गया है:

वर्ष	आवंटित राशि (रुपये करोड़ में)	संवितरित राशि (रुपये करोड़ में)
2019-20	83467.85	83467.85
2020-21	138527.30	131229.51
2021-22	162072.12	157640.08
2022-23	254798.88	254798.88
2023-24	197457.18	195420.51

(ख): सरकार किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 'उर्वरक में डीबीटी' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। सभी किसानों (लघु, मध्यम और बड़े किसानों सहित) को नॉन-डिनायल आधार पर सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	क्रेता गणना
2019-20	1156757
2020-21	1946250
2021-22	2420757
2022-23	2576865
2023-24	2519432
2024-25 (25.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	1848703

(ग): उर्वरक विभाग को कृषि समुदाय को वहनीय दरों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिदेश प्राप्त है। तदनुसार, किसानों को 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) के सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है और एमआरपी 01.03.2018 से अब तक अपरिवर्तित रही है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के मामले में सरकार ने 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व मात्रा अर्थात नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटैशियम (के) और सल्फर (एस) के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत दी जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके। सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी करती है और पीएण्डके उर्वरकों के लिए वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को सम्मिलित कर दिया जाता है। इस प्रकार, संपूर्ण सब्सिडी स्कीम किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता पर केन्द्रित है। पिछले 5 वर्षों के लिए कुल सब्सिडी व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	पीएण्डके उर्वरकों पर कुल सब्सिडी व्यय (करोड़ रुपए में)	यूरिया पर कुल सब्सिडी व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2019-20	26368.85	57099.00
2	2020-21	37372.46	93857.03
3	2021-22	52770.00	104870.12
4	2022-23	86122.00	168676.65
5	2023-24	65199.57	130220.94

(घ): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) उर्वरकों की राज्य-वार और महीने-वार आवश्यकता का आकलन करता है। देश भर के राज्यों में उर्वरकों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजनाएं जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक वेब आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, व्यस्ततम कृषि मौसमों के दौरान उर्वरक विभाग उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त रैक प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित रूप से मामले को उठाता है।

****